भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1326**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए
डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों के साथ सहयोग

1326. डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही:
क्या **वाणिज्य और उद्योगमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय भारत के विविध उद्योगों को लाभ पहुंचाने वाले और सतत विकास को बढ़ावा देने वाले अनुकूल व्यापार समझौतों पर बातचीत करने के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अन्य सदस्य देशों के साथ किस प्रकार सहयोग कर रहा है;

(ख) मंत्रालय की डब्ल्यूटीओ में देश की भागीदारी के संबंध में अंतर्दृष्टि और प्रतिपुष्टि प्राप्त करने तथा बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं में देश के हितों का प्रभावी रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए उद्योग के प्रतिनिधियों और व्यापार विशेषज्ञों सहित हितधारकों के साथ किस प्रकार जुड़ने की योजना है; और

(ग) मंत्रालय भारत के हितों की रक्षा करने और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बनाए रखने के लिए डब्ल्यूटीओ के **ढांचे** के भीतर किसी भी संभावित व्यापार संबंधी विवाद का समाधान किस प्रकार करने की योजना बना रहा है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों के साथ सहयोग (i) मुक्त व्यापार करार (ii) अधिमानी व्यापार करार और (iii) भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार, गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने और आर्थिक एकीकरण को गहन बनाने के लिए द्विपक्षीय संयुक्त आर्थिक सहयोग तंत्रों के माध्यम से किया जाता है। करारों पर बातचीत करते समय विविध उद्योगों के हितों और घरेलू संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखा जाता है। व्यापार करारों में सुरक्षोपायों और स्थायी विकास से संबंधित प्रावधानों जैसे व्यापार उपचारात्मक उपायों को भी उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

(ख) बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं में भारत के हितों की रक्षा करने के लिए उद्योग प्रतिनिधियों, वाणिज्य एवं उद्योग के शीर्ष मंडलों, उद्योग संघों, निर्यात संवर्धन परिषदों, व्यापार विशेषज्ञों, थिंक टैंकों आदि सहित पणधारियों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों एवं विभागों के साथ व्यापक परामर्श किया जाता है। डब्ल्यूटीओ एजेंडा मदों पर भारत की स्थिति प्रत्येक मुद्दे पर आपत्तिजनक और रक्षात्मक हितों को समझने के बाद सुदृढ़ होती है। मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए डब्ल्यूटीओ के अन्य सदस्यों के साथ समन्वय भी किया जाता है।

(ग) भारत किसी संभावित व्यापार विवाद का समाधान करने के लिए डब्ल्यूटीओ करारों के नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करता है। डब्ल्यूटीओ नियमों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन का मुद्दा विभिन्न डब्ल्यूटीओ करारों के अंतर्गत गठित समितियों और परिषदों में उठाया जाता है। भारत विवाद की स्थिति तक पहुंचने से पहले व्यापार चिंताओं को हल करने के लिए डब्ल्यूटीओ सदस्यों के साथ द्विपक्षीय रूप से बातचीत करता है। यदि ऐसे संभावित व्यापार विवादों को समिति और परिषद स्तरों पर हल नहीं किया जाता है, तो डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान तंत्र लागू किया जाता है जिसमें सदस्यों के बीच व्यापार विवादों को हल करने का प्रावधान है, ताकि एक नियम-आधारित परिणाम प्राप्त किया जा सके जो विश्व व्यापार संगठन विधि और व्यवहार के अनुरूप है।

*****